प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ
नई दिल्ली।

पत्रांक– 2468 / डी0एल0आर0सी0 / 2023 दिनांक– 25/7/23

विषयः– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 275 / 2023 (I.A. No. 269/2023) महेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 275 / 2023 (I.A. No. 269/2023) महेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 20.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

Grievance in this application is against failure of the statutory authorities in removing unauthorized construction over the flood plain zone of Yamuna and Hindan Rivers at Khata No. 163, Khasra Nos. 507kh, 652 and 673, Village Lakhnawali, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

"......... In view of above, we consider it necessary to direct District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar to look into the matter and take remedial action, following due process of law and to file an action taken report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. (District Magistrate, Gautam Buddha Nagar will be nodal agency for coordination and compliance. Copy of the report may also be furnished to the alleged violators for their response, if any, before the next date.

List for further consideration on 27.07.2023"

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 14.07.2023 एवं दिनांक **17.07.2023** को बैठक आहूत की गयी। बैठक में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदूषण विभाग, हैड वर्क्स कैनाल ओखला, सिंचाई विभाग गाजियाबाद एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली स्थित खाता सं0 163 खसरा सं0 507ख, 652 व 673 का परियोजना विभाग तथा भूलेख विभाग द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है। ग्राम लखनावली के राजस्व भूचित्र के अनुसार खसरा सं0 507ख हिण्डन नदी के ग्रेटर नोएडा की तरफ डूब क्षेत्र में स्थित है परन्तु स्थलीय सर्वेक्षण में मौके के अनुसार हिण्डन नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होने के कारण खसरा सं0 507ख नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त खसरा कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण / निर्माण नहीं है। खसरा सं0 652 व 673 राजस्व भूचित्र तथा मौके के अनुसार हिण्डन नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है।

2. उपजिलाधिकारी सदर द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 17.07.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम लखनावली का गाटा सं0 507(क+ख) कुल रकबा 0.6570है0 ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा वर्तमान में उक्त गाटा सं0 में मौके पर कुछ भाग में कृषि कार्य व कुछ भाग में मकान आदि बने है। गाटा सं0 652 व 673 मौके के अनुसार नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। गाटा सं0 652 व 673 में मौके पर कॉलोनी बनी हुयी है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा द्वारा आख्या कार्यालय पत्र सं0 458/एन0जी0टी0–66/2023 दिनांक 19.07.2023 में उल्लेख किया है कि खसरा सं0 507ख पर कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं है। अतः उनके स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा द्वारा आख्या कार्यालय पत्र सं0 522/एल–167/2023 दिनांक 17.07.2023 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा स्तर से प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 17.07.2023 में उल्लेख किया है कि ग्राम लखनावली गाटा सं0 507ख, 652 व 673 हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा इस गाटे पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व नहीं है। यह क्षेत्र प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः इस क्षेत्र में हुये अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

5. पुलिस विभाग की ओर से बैठक में उपस्थित सहायक पुलिस आयुक्त, सूरजपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आख्या दिनांक 17.07.2023 में अवगत कराया गया है कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा सं0 652 व 673 के सम्बन्ध में अवैध अतिक्रमण हटाने एवं 7 दिवस में पक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रथम नोटिस दिनांक 19.09.2022 को जारी किया गया। अन्तिम नोटिस दिनांक 15.02.2023 में अतिक्रमणकर्ताओं को 07 दिन में अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु कहा गया था, किन्तु इस **नोटिस से क्षुब्ध होकर ग्रीन वैली कॉलोनी रेजिडेन्सियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 15166/2023 योजित की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये है:–**

Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent authority submits that against the impugned order, the petitioner has alternative remedy of filling appeal before the Chairman under the New Okhala Industrial Development Authority (Building & Regulation) Act, 2010. He further states that in case any appeal is filed, it will be decided expeditiously and no coercive action will be taken until the appeal is decided.

Accordingly, the instant petition is disposed of by providing that in case any appeal is filed within two weeks from today, the same will be decided by the competent authority within next four weeks and until the appeal is decided, no

coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned order. The petitioner will not raise any further construction on the spot.

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 18.05.2023 प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 07.06.2023 नियत की गयी थी। नियत तिथि पर याचीगणों द्वारा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया था। प्रकरण में इसी सप्ताह में तिथि नियत होने के उपरान्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना सम्भावित है।

बैठक दिनांक 17.07.2023 का कार्यवृत्त सं0 2460(1)/डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 21.07.2023 निर्गत किया गया था, जिसमें पुनः आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण से अद्यतन आख्या प्राप्त की जानी थी। **बैठक दिनांक 24.07.2023 में अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ** नोएडा प्राधिकरण की ओर से श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रबन्धक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिभाग किया गया, किन्तु बैठक दिनांक 24.07.2023 में नोएडा प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0 15166/2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 के क्रम में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या/स्टेटस बैठक में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र सं0 2467/डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 24.07.2023 प्रेषित किया गया है।

इस प्रकार **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सी सं0 –15166/2023 ग्रीन वैली कॉलोनी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यू0पी0 स्टेट एवं 4 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023** के क्रम में याची द्वारा अध्यक्ष, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण होने के उपरान्त तद्नुसार प्रकरण में सुसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष सादर प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

25/7/23

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

25.7.23

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

Anx. 1

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 275/2023 (I.A. No. 269/2023 Mahesh Kumar Vs. State of UP and Others) के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली स्थित खाता नं0 163, खसरा सं0 507ख, 652 व 673 का परियोजना विभाग तथा भूलेख विभाग द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है। ग्राम लखनावली के राजस्व भू–चित्र के अनुसार खसरा सं0 507ख हिण्डन नदी के ग्रेटर नोएडा की तरफ डूब क्षेत्र में स्थित है, परन्तु स्थलीय सर्वेक्षण में मौके के अनुसार हिण्डन नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होने कारण खसरा सं0 507ख नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त खसरा कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिकमण/निर्माण नही है। शेष खसरा सं0 652 व 673 राजस्व भू–चित्र तथा मौके के अनुसार हिण्डन नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है।

तदानुसार संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

राकेश चन्द्र बड़ौनी
~~लेखपाल~~ सर्वे अमीन

अनूप चन्द्र शर्मा 17.7.2023
सहा0 प्रबन्धक, वर्क सर्किल–4

सुरेन्द्र कुमार
प्रबन्धक, वर्क सर्किल–4

नरोत्तम सिंह 17/7/23
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–4

विशेषकार्याधिकारी–भूलेख

विशेषकार्याधिकारी/महाप्रबन्धक (अभियंत्रण)

21/7
OSD (GM(P))

विशु राजा
महाप्रबन्धक (सिविल)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

Anx - 2

स्थलीय निरीक्षण आख्या

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0न0—275 / 2023,आईए न 0—269 / 2023 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में ग्राम लखनावली परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर की खाता संख्या 163 के गाटा संख्या 507ख, 652, 673 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम लखनावली का गाटा संख्या 507(क+ख) कुल रकबा 0.6570 हैक्टेयर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा वर्तमान में उक्त गाटा संख्या में मौके पर कुछ भाग में कृषि कार्य व कुछ भाग में मकान आदि बने है। गाटा संख्या 652 व 673 मौके के अनुसार नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है गाटा संख्या 652 व 673 में मौके पर कालोनी बनी हुई है। (मौके के फोटोग्राफ संलग्न) रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

17/07/2023

महोदय
रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेषित
17/7/2023
RI

17/07/2023

seen
SDM(S)
17/7/23

गाटा सं0 652 व 653

গাতা খাত – ১৩৭

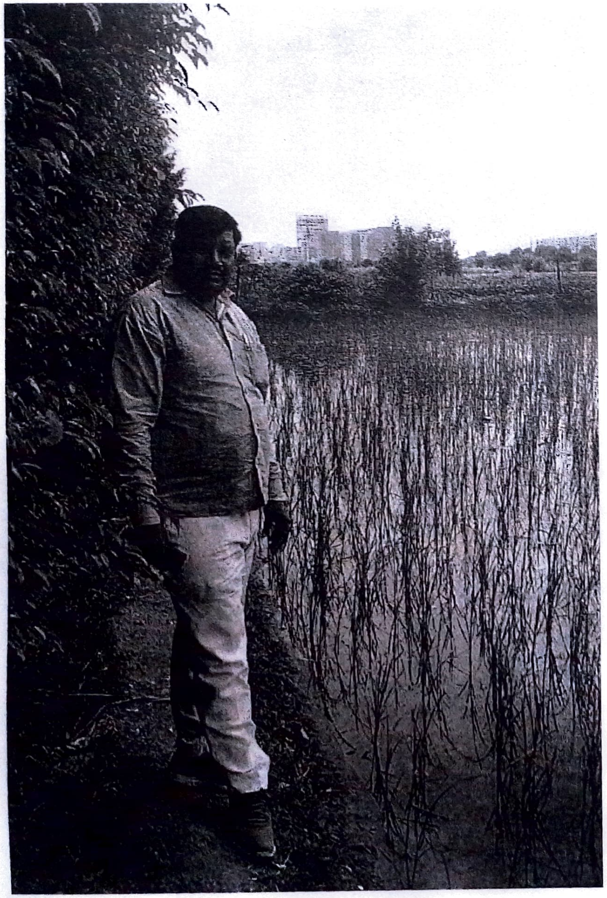

Anx-3

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 458 /MGT-66/23 दिनांक : 19/7/23

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

गौतमबुद्धनगर।

विषयः <u>मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित OA No-275/2023, Mahesh Kumar Versus State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 962/ वाद लिपिक/2023 दिनांक 12.07.2023 एवं पत्रांक 313/एस0टी0-ए0डी0एम0(ई0) दिनांक 13.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त ओ0ए0 के सम्बन्ध में कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2023 को सम्बन्धित विभागों की बैठक में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी, जो संलग्न है। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार ग्राम-लखनावली के राजस्व भू-चित्र के अनुसार खसरा सं0 507ख हिण्डन नदी के ग्रेटर नोएडा की तरफ डूब क्षेत्र में स्थित है, परन्तु स्थलीय सर्वेक्षण में मौके के अनुसार हिण्डन नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होने के कारण खसरा सं0 507ख नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त खसरा कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं है। शेष खसरा सं0 652 व 673 राजस्व भू-चित्र तथा मौके के अनुसार हिण्डन नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के क्षेत्रांन्तर्गत खसरा सं0 507ख पर कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं है। अतः इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

19/7/2023

(डी0के0 गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

E:\EE Ranjit Sir\NGT\Mahesh Kumar 275 of 2023\O.A 275 letter.docx

Anx -4

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः—522 / एल—167 / 2023 दिनांकः—17.07.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयःमा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 275 / 2023, आई0ए0 सं0 269 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 14.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। तत्क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण / ओ0ए0 सं0 275 / 2023, आई0ए0 सं0 269 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा स्तर से प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित / अपेक्षित नही है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Anx-5

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 3583 /है0व0ख0/ दिनांकः– 17/07/2023

विषयः–मा0 राष्ट्रीय, हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन (O.A No 275/2023LA No 269/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 2426/डी0एल0आर0सी0/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A No 275/2023LA No 269/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य में मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 20.4.2023 को पारित आदेश के कम में सिंचाई विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराने की वॉछना की गयी है। प्रकरण में अवगत कराना है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम लखनावली के गाटा सं0 163, खसरा नं0 507ख, 652, 673, हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में तटबन्ध एवं नदी के मध्य स्थित है। उपरोक्त गाटों पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व नहीं है। सूचनीय है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम लखनावली ग्रेटर नोएड के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 1417बी–27–सिं–2–181बाढ/09 दिनांक 16.03.2010 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दू सं0 01 एवं 02 में स्पष्ट किया गया है किः–

1. महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करनें हेतु इन क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाये। सम्बन्धि नगरों की महोयोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट–1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट–1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये।
3. **जो क्षेत्र प्रस्तर–1 एवं 2 से आच्छादित नहीं है** उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचना करते हुए अवैध निर्माणों को हटो के लिये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त गाटा हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है जो कि नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा शासनादेश के बिन्दू सं0 01 एवं 02 से आच्छादित है। अतः मा0 राष्ट्रीय, हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 20.04.2023 के आदेश के कम में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है।

जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 712/स्टाम्प लिपिक/2020–21/दिनांक 17.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) के बिंन्दू सं0 01 से स्पष्ट है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में जो भी फ्लड प्लेन जोन/डूब क्षेत्र है वह नोएडा/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ही है। अतः फ्लड प्लेन जोन में हुए अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 10 के तहत सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

जनपद गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर के यमुना नदी एवं यमुना हिण्डन दोआब के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से अतिकमण व अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन सं0 89/2013 श्री आकाश वशिष्ठ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.05.2013 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दू सं0 3(1) निम्नवत हैः–

"यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिकमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नोएडा, ग्रेटरा नोएडा, गाजियाबाद

स प्राधिकरण जिनके अधिकारी क्षेत्र में यह घटित हुए है, की है। अन्य सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक उन्हे इस कार्य में समुचित सहयोग तत्परता से प्रदान रगें।"

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मा0 राष्ट्रीय, हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.04.2023 से आच्छादित ग्राम लखनावली का गाटा सं0 163, खसरा नं0 507ख, 652, 673, हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा इस गाटे पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व नहीं है। यह क्षेत्र नोएडा/ग्रेटरा नाएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गतत आता है। अतः इस क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

17/07/2023

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

पत्रांकः– /है0व0ख0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–गौतमबुद्धनगर।
2. सहायक अभियन्ता–पंचम हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला।

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली–25

Anx-6

विषयः ग्राम लखनावली, तहसील- सदर, गौतमबुद्धनगर के यमुना व हिण्डन के Flood plain Zone के खाता संख्या- 163, खसरा संख्या- 507ख, 652 व 673 के संबंध में ।

कृपया जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के पत्र संख्या- 2422/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनॉक 13.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस पत्र में श्री महेश कुमार द्वारा योजित वाद सं0- ओ0ए0-275/2023 में मा0 न्यायालय, नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.04.2023 के अनुपालन में दिनॉक 14.07.2023 को अपराह्न 3.30 बजे कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा स्थित सभागार कक्ष में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी है।

ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या- 507ख, 652 व 673 की स्थलीय एवं अभिलेखीय स्थिति निम्नवत् हैः-

- नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या- 507ख, 652 व 673 पर अवैध अतिक्रमण/ ग्रीन वैली के नाम से कालोनी काटने संबधी शिकायत प्राप्त हुई, टेन्टेटिव सुपर इम्पोज्ड मैप के अनुसार खसरा संख्या- 507ख की भूमि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत न होकर ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत है। नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या-652 व 673 के संबंध में वर्क सर्किल- 10 व भूलेख विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने एवं 07 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने संबंधी **प्रथम नोटिस दिनॉक 19.09.2022** जारी किया गया था।

  उक्त नोटिस दिनॉक 19.09.2022 के जवाब में पक्षकारों द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-10 के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन में खसरा संख्या-652 व 673 की भूमि पर किये गये/ किये जा रहे निर्माण के संबंध में भवन नियमावली के वर्णित प्रावधानों एवं नक्शा स्वीकृति के संबंध में तथा प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। जिसके क्रम में अतिक्रमणकर्ता श्री दीपक पुत्र ब्रह्म सिंह उर्फ बिन्नू, संतोष, राजीव नि0 ग्राम इलाबांस, सै0- 86, नौएडा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त ध्वस्तीकरण हेतु **अंतिम नोटिस** पत्र संख्या- नौएडा/नोटिस/व0प्र0(व0स0-10)/2023/2121, दिनॉक 15.02.2023 जारी किया गया था।

- अंतिम नोटिस दिनॉक 15.02.2023 में अतिक्रमणकर्ताओं को 07 दिन में अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु कहा गया था। किन्तु इस नोटिस से क्षुब्ध होकर ग्रीन वैली कालोनी रेजिडेन्सियल वेलफेयर एसोशिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-15166/2023, योजित की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनॉक 05.05.2023 को निम्नवत् आदेश (प्रति दायीं ओर संलग्न) पारित किये गयेः-

  "....... Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent authority submits that against the impugned order, the petitioner has alternative remedy of filling appeal before the Chairman under the New Okhala Industrial Development Authority (Building & Regulation) Act, 2010.

  He further states that in case any appeal is filed, it will be decided expeditiously and no coercive action will be taken until the appeal is decided.

  Accordingly, the instant petition is disposed of by providing that in case any appeal is filed within two weeks from today, the same will be decided by the competent authority within next four weeks and until the appeal is decided, no coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned order. The petitioner will not raise any further construction on the spot...."

- उपरोक्त आदेश के क्रम में याची द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनॉक 18.05.2023 वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-10 को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में वर्क सर्किल द्वारा मा0 अध्यक्ष, नौएडा महोदय को सीधे पत्राचार

17/7/23 17/7/2023 CAM

करते हुए पत्र दिनाँक 29.05.2023 प्रेषित कर प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि व समय नियत करने हेतु अनुरोध किया गया। पत्र के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुनवाई हेतु दिनाँक 07.06.2023 की नियत की गयी थी। नियत तिथि पर याचीगणों द्वारा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि नियत किये जाने हेतु पत्रावली मा0 अध्यक्ष, नौएडा महोदय को प्रेषित की जा चुकी है तथा इस संबंध मा0 अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से संपर्क मे हैं। प्रकरण में इसी सप्ताह में तिथि नियत होने के उपरान्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना संभावित है।

- प्रश्नगत प्रकरण में ही विपक्षी श्री महेश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय, नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल वाद सं0-ओ0ए0-275/2023 योजित किया गया है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 20.04.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत हैः-

"......... 1. Grievance in this application is against failure of the statutory authorities in removing unauthorized construction over the flood plain zone of Yamuna and Hindan Rivers at Khata No. 163, Khasra nos. 507kh, 652 and 673, Village Lakhnawali, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

2. Case set out in the application is that there are more than 250 constructions in the above Flood Plain Zone, including the construction in question and though representation has been made to the authorities, the same are not being removed. The applicant has referred to earlier order of the Tribunal on the subject dated 20.05.2013 in Application No. 89/2013, Akash Vashishtha & Anr. vs. Union of India & Ors., and reports dated 05.07.2022, 27.07.2022 and 17.10.2022 of SDM Sadar, Gautam Buddha Nagar, dated 11.10.2022 of Irrigation Department and dated 07.10.2022 by Greater Noida Industrial Development Authority.

3. In view of above, we consider it necessary to direct District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar to look into the matter and take remedial action, following due process of law and to file an action taken report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. District Magistrate, Gautam Buddha Nagar will be nodal agency for coordination and compliance. Copy of the report may also be furnished to the alleged violators for their response, if any, before the next date.

List for further consideration on 27.07.2023......"

मा0 न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा अपने आदेश 20.04.2023 में जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी नामित करते हुए पुलिस, सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण विभाग व नौएडा व ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की एक संयुक्त टीम बनाकर प्रकरण का परीक्षण कर ATR रिपोर्ट दिनाँक 27.07.2023 तक दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह कि याचीगण द्वारा हिण्डन नदी से बांध के बीच में डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में कालोनीनुमा अनाधिकृत व अवैध निर्माण किया गया है, जिसको ध्वस्त किया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण के कारण रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विकास कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। डूब क्षेत्र (प्लेन फ्लड जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में हिण्डन नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाब बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौएडा के आवासीय/औद्योगिक सेक्टरों में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः याचीगण द्वारा ग्राम-लखनावली के डूब-क्षेत्र में कालोनी के रूप में किया गया निर्माण अवैध/ अनधिकृत एवं विधि विरूद्ध है।

आख्या सादर प्रेषित है।

17/7/23

17.7.23
(K.V. SINGH)
SMWC-10
NOIDA

Anx-7

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 275/2023 (I.A. No. 269/2023) महेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 17.07.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 275/2023 (I.A. No. 269/2023) महेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 20.04.2023 को पारित आदेश के कम में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2023 को कलेक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर
2. श्री सुमित शुक्ला, सहायक पुलिस आयुक्त, सूरजपुर।
3. श्री डी0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण विभाग, ग्रेटर नोएडा।
4. श्री हरिओम सिंह, सहायक अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा कैनाल, ओखला।
5. श्री के0वी0 सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
6. श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रबन्धक (सिविल), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. श्री नरोत्तम सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
8. श्री सत्या विजय, सहायक अभियन्ता, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा।
9. श्री मुकेश कुमार जैन, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।

ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 275/2023 (I.A. No. 269/2023) महेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 20.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः—

Grievance in this application is against failure of the statutory authorities in removing unauthorized construction over the flood plain zone of Yamuna and Hindan Rivers at Khata No. 163, Khasra Nos. 507kh, 652 and 673, Village Lakhnawali, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

"......... In view of above, we consider it necessary to direct District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar to look into the matter and take remedial action, following due process of law and to file an action taken report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. (District Magistrate, Gautam Buddha Nagar will be nodal agency for coordination and compliance. Copy of the report may also be furnished to the alleged violators for their response, if any, before the next date.

List for further consideration on 27.07.2023"

उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में भी दिनांक 14.07.2023 को बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में निम्न तथ्य संज्ञान में आयेः—

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली स्थित खाता सं0 163 खसरा सं0 507ख, 652 व 673 का परियोजना विभाग तथा भूलेख विभाग द्वारा

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है। ग्राम लखनावली के राजस्व भूचित्र के अनुसार खसरा सं0 507ख हिण्डन नदी के ग्रेटर नोएडा की तरफ डूब क्षेत्र में स्थित है परन्तु स्थलीय सर्वेक्षण में मौके के अनुसार हिण्डन नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन होने के कारण खसरा सं0 507ख नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त खसरा कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं है। खसरा सं0 652 व 673 राजस्व भूचित्र तथा मौके के अनुसार हिण्डन नदी के दूसरी तरफ नोएडा की ओर स्थित है।

2. उपजिलाधिकारी सदर द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 17.07.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम लखनावली का गाटा सं0 507(क+ख) कुल रकबा 0.6570है0 ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा वर्तमान में उक्त गाटा सं0 में मौके पर कुछ भाग में कृषि कार्य व कुछ भाग में मकान आदि बने है। गाटा सं0 652 व 673 मौके के अनुसार नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। गाटा सं0 652 व 673 में मौके पर कॉलोनी बनी हुयी है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा द्वारा आख्या कार्यालय पत्र सं0 458/एन0जी0टी0–66/2023 दिनांक 19.07.2023 में उल्लेख किया है कि खसरा सं0 507ख पर कृषि हेतु उपयोग किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/निर्माण नहीं है। अतः उनके स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा द्वारा आख्या कार्यालय पत्र सं0 522/एल–167/2023 दिनांक 17.07.2023 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा स्तर से प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 17.07.2023 में उल्लेख किया है कि ग्राम लखनावली गाटा सं0 507ख, 652 व 673 हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है तथा इस गाटे पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व नहीं है। यह क्षेत्र प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः इस क्षेत्र में हुये अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

5. पुलिस विभाग की ओर से बैठक में उपस्थित सहायक पुलिस आयुक्त, सूरजपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आख्या दिनांक 17.07.2023 में अवगत कराया गया है कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा सं0 652 व 673 के सम्बन्ध में अवैध अतिक्रमण हटाने एवं 7 दिवस में पक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रथम नोटिस दिनांक 19.09.2022 को जारी किया गया। अन्तिम नोटिस दिनांक 15.02.2023 में अतिक्रमणकर्ताओं को 07 दिन में अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु कहा गया था, किन्तु इस **नोटिस से क्षुब्ध होकर ग्रीन वैली कॉलोनी रेजिडेन्सियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 15166/2023 योजित की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–**

Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent authority submits that against the impugned order, the petitioner has alternative remedy of filling appeal before the Chairman under the New

Okhala Industrial Development Authority (Building & Regulation) Act, 2010. He further states that in case any appeal is filed, it will be decided expeditiously and no coercive action will be taken until the appeal is decided.

Accordingly, the instant petition is disposed of by providing that in case any appeal is filed within two weeks from today, the same will be decided by the competent authority within next four weeks and until the appeal is decided, no coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned order. The petitioner will not raise any further construction on the spot.

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 18.05.2023 प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 07.06.2023 नियत की गयी थी। नियत तिथि पर याचीगणों द्वारा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया था। प्रकरण में इसी सप्ताह में तिथि नियत होने के उपरान्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना सम्भावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में पुनः दिनांक 24.07.2023 को बैठक आहूत कर प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या प्राप्त की जाये।

यह कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 21.07.2023 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 2560(1) /डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक– 21/7/23

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में पुलिस विभाग की ओर से सक्षम अधिकारी को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में सक्षम अधिकारी को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. प्रदूषण अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा कैनाल, ओखला को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में प्रतिभाग करने हेतु।

22/7/2023

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

महत्वपूर्ण / एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 2467/ डी0एल0आर0सी0 / 2023 दिनांक– 24-7-23

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 275/2023 (I.A. No. 269/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 275/2023 (I.A. No. 269/2023 महेश कुमार बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य) के सम्बन्ध में दिनांक 17.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से श्री के0वी0 सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक एवं श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रबन्धक (सिविल) नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिभाग किया गया था।

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आख्या दिनांक 17.07.2023 में अवगत कराया गया है कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम लखनावली के डूब क्षेत्र में स्थित खसरा सं0 652 व 673 के सम्बन्ध में अवैध अतिक्रमण हटाने एवं 7 दिवस में पक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रथम नोटिस दिनांक 19.09.2022 को जारी किया गया। अन्तिम नोटिस दिनांक 15.02.2023 में अतिक्रमणकर्ताओं को 07 दिन में अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु कहा गया था, किन्तु इस **नोटिस से क्षुब्ध होकर ग्रीन वैली कॉलोनी** रेजिडेन्सियल **वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 15166 / 2023 योजित की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः–**

Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent authority submits that against the impugned order, the petitioner has alternative remedy of filling appeal before the Chairman under the New Okhala Industrial Development Authority (Building & Regulation) Act, 2010. He further states that in case any appeal is filed, it will be decided expeditiously and no coercive action will be taken until the appeal is decided.

Accordingly, the instant petition is disposed of by providing that in case any appeal is filed within two weeks from today, the same will be decided by the competent authority within next four weeks and until the appeal is decided, no coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned order. The petitioner will not raise any further construction on the spot.

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के कम में याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 18.05.2023 प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 07.06.2023 नियत की गयी थी। नियत तिथि पर याचीगणों द्वारा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया था। प्रकरण में इसी सप्ताह में तिथि नियत होने के उपरान्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना सम्भावित है।

बैठक दिनांक 17.07.2023 का कार्यवृत्त सं0 2460(1)/डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 21.07.2023 निर्गत किया गया था, जिसमें पुनः आगामी बैठक दिनांक 24.07.2023 में प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण से अद्यतन आख्या प्राप्त की जानी थी। बैठक दिनांक 24.07.2023 में नोएडा प्राधिकरण की ओर से श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रबन्धक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिभाग किया गया, किन्तु बैठक दिनांक 24.07.2023 में नोएडा प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0 15166/2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 के कम में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या/स्टेटस बैठक में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रकरण में मा0 अधिकरण में दिनांक 27.07.2023 नियत है। अतः कृपया उक्त स्थिति से संज्ञानित होने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्धनगर।

 Anx -9 Neutral Citation No. - 2023:AHC:114862-DB

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 15166 of 2023

Petitioner :- Green Valley Colony Resident Welfare Association

Respondent :- State Of U.P. And 4 Others

Counsel for Petitioner :- Ageet Kumar Singh,Yadavendra Dwivedi

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

Heard learned counsel for the parties.

The petitioner has challenged the order dated 15.02.2023 passed by Senior Manager, Work Circle 10 NOIDA and Deputy Collector, NOIDA, directing demolition of constructions existing over Khasra No. 652 and 673.

Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent authority submits that against the impugned order, the petitioner has alternative remedy of filling appeal before the Chairman under the New Okhala Industrial Development Authority (Building & Regulation) Act, 2010.

He further states that in case any appeal is filed, it will be decided expeditiously and no coercive action will be taken until the appeal is decided.

Accordingly, the instant petition is **disposed of** by providing that in case any appeal is filed within two weeks from today, the same will be decided by the competent authority within next four weeks and until the appeal is decided, no coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned order. The petitioner will not raise any further construction on the spot.

Order Date :- 5.5.2023
Manoj

(Rajendra Kumar-IV, J.) (Manoj Kumar Gupta, J.)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 275/2023
(I.A. No. 269/2023)

Mahesh Kumar — Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 20.04.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Satyabeer Singh, Advocate

ORDER

1. Grievance in this application is against failure of the statutory authorities in removing unauthorized construction over the flood plain zone of Yamuna and Hindan Rivers at Khata No. 163, Khasra nos. 507kh, 652 and 673, Village Lakhnawali, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

कार्यवाही हेतु। Case set out in the application is that there are more than 250 constructions in the above Flood Plain Zone, including the construction in question and though representation has been made to the authorities, the same are not being removed. The applicant has referred to earlier order of the Tribunal on the subject dated 20.05.2013 in *Application No. 89/2013, Akash Vashishtha & Anr. vs. Union of India & Ors.*, and reports dated 05.07.2022, 27.07.2022 and 17.10.2022 of SDM Sadar, Gautam Buddha

Nagar, dated 11.10.2022 of Irrigation Department and dated 07.10.2022 by Greater Noida Industrial Development Authority.

3. In view of above, we consider it necessary to direct District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar to look into the matter and take remedial action, following due process of law and to file an action taken report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. District Magistrate, Gautam Buddha Nagar will be nodal agency for coordination and compliance. Copy of the report may also be furnished to the alleged violators for their response, if any, before the next date.

List for further consideration on 27.07.2023.

No ground is made out for passing an interim order at this stage. I.A. No. 269/2023 will stand disposed of accordingly.

A copy of this order be forwarded to District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers on District Magistrate and Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar, Noida and Greater Noida Authorities, State PCB and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Buddha Nagar and file affidavit of service within one week.

Adarsh Kumar Goel, CP

(4)

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 20, 2023
Original Application No. 275/2023
(I.A. No. 269/2023)
SN